विहार विधान-सभा वादवृत

(भाग—१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि १७ फरवरी, १९७५ ।

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : विहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत अनागत प्रश्नों के उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : ३, ४ एवं ६ ... १—११

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : १४२, १४८, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४९—१५१, १६०, १९९, २०२ एवं २०४—२०७ । १२—३४

परिशिष्ट-१ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ... ३५—३४४

दैनिक निबंध : ३४५-३४६

टिप्पणी : —जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित किया है उनके नाम के आगे (@) चिन्ह लगा दिया गया है ।

निधि के लेखा के संधारण आदि के संबंध में समुचित व्यवस्था चालू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अतः तत्काल वर्त्तमान चालू प्रक्रिया में अन्तर लाने का विचार नहीं है।

श्री सत्यदेव शर्मा के मासिक वेतन का भुगतान

*१६७। श्री एस० के० राय—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत राजपुर प्रखंड के तियरा मध्य विद्यालय के प्रबंध समिति ने प्रधानाध्यापक के पद पर श्री सत्यदेव शर्मा की नियुक्ति दिनांक ३० मई १९७२ को की थी ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री शर्मा ने प्रधानाध्यापक के पद पर दिनांक ५ सितम्बर १९७२ को कार्यभार संभाला एवं तत्कालीन राज्य मंत्री, शिक्षा विभाग ने भी दिनांक २० दिसम्बर १९७३ को अन्तिम रूप से इस नियुक्ति की स्वीकृति दी थी ;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री सत्यदेव शर्मा को दिनांक १५ सितम्बर १९७४ से मासिक वेतन भुगतान पाने का आदेश हुआ है, जबकि श्री शर्मा इस पद पर दिनांक ५ सितम्बर १९७२ से ही कार्य कर रहे हैं;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो दिनांक ५ सितम्बर १९७२ से दिनांक १४ सितम्बर १९७४ तक की अवधि का मासिक वेतन भुगतान नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) विद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी श्री शर्मा की नियुक्ति को प्रशासक जिला पर्षद्, भोजपुर ने १५ सितम्बर १९७४ को अनुमोदित किया है, और इसी अनुमोदित के आधार पर श्री शर्मा का भुगतान दिनांक १५ सितम्बर १९७४ से किया जा रहा है। नियमानुसार विभागीय अनुमोदित प्राप्त करने के

पश्चात ही नियुक्ति करनी चाहिये थी। अतः अनुमोदन प्रदान किये जाने के पूर्व अवधि के वेतन भुगतान का दायित्व विभाग पर नहीं है।

धनबाद अनुमंडलाधिकारी के अन्तर्गत मुकदमा

र-६। श्री एस० के० राय—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धनबाद जिलान्तर्गत धनबाद सदर अनुमंडलाधिकारी के अन्तर्गत दफा १०७ सी० आर० पी० सी० के मातहत कुल कितने मुकदमें हैं और वे कब से लम्बित हैं?

प्रभारी मंत्री, विधि विभाग—(क) दफा १०७ सी० आर० सी० पी० के अन्तर्गत धनबाद सदर अनुमंडल में कुल १,०९७ मुकदमें लम्बित हैं।

(ख) (१) दो वर्षों से अधिक ३६ मुकदमें;

(२) एक वर्ष से अधिक २५४ मुकदमें;

(३) ६ माह से अधिक २५० मुकदमें; एवं

(४) ६ माह से कम ५५७ मुकदमें।

धनबाद जिला में लम्बित मुकदमा

र-७। श्री एस० के० राय—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) धनबाद जिला में कुल कितने मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट हैं और कुल कितने एवं कब से मुकदमें उनके समक्ष लम्बित हैं;

(२) पांच वर्ष से ज्यादे अवधि से लम्बित कुल कितने मुकदमें हैं;

(३) मुकदमों को देर तक लम्बित रहने के मुख्य कारण क्या हैं और कब तक ऐसे मुकदमों के निष्पादन की संभावना है?

प्रभारी मंत्री, विधि विभाग—(१) (क) धनबाद जिले में ७ मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट और बाघमारा में ३ हैं।

(ख) धनबाद जिले में १४,३३१ मुकदमें एवं बाघमारा में २०,८८६ मुकदमें लम्बित हैं। लम्बित मुकदमें १९५९ से लेकर १९७४ के बीच के हैं।